अपील सूचना अधिकार संख्या 104/2016 अनवानी राजकुमार पुत्र कालूराम धानका निवासी धानका बस्ती, वार्ड न0 13, जैतसर तहसील श्रीविजयनगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

21–03–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राजकुमार उपस्थित लही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी के अपील पत्र के अनुसार उसके द्वारा 3 बिन्दुओ की सूचना लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से चाही गई थी जो उनके द्वारा प्रश्नात्मक बताकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

Web Copy - Not Official

अपीलार्थी के अपील पत्र पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 7157 दिनांक 30.06.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं शिकायत के संबंध में थी या फिर प्रश्नात्मक थी जिसका उत्तर उनके कार्यालय के रजि0 पत्र संख्या 6508 दिनांक 31.05.2016 के द्वारा अपीलार्थी को भिजवा दिया गया था जो निम्नानुसार भिजवाया गया है:–

आवेदक द्वारा चाही गई सूचना	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का जवाब
1. गोकुल धाम कालोनी व बंसत बिहार कालोनी की लोकायुक्त प्रकरण की जांच श्रीमान कर्ण गोठवाल अतिरिक्त जिलाधीश प्रशासन द्वारा की गई जांच की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने बाबत।	आप द्वारा चाही गई सूचना जांच कार्यवाही से सबंधित है, जो सूचना की परिभाषा में नही आता है। अतः राजस्थान सूचना आयोग के निर्णय दिनांक 15.09.2015 के अनुसार तथा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वांछित सूचना देय नही है।
2. ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड का पट्टा नवीनीकरण कर सकता है क्या सूचना उपलब्ध करवाये।	वान्छित सूचना प्रश्नात्मक है। अतः सूचना देय नही है।
3. ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव द्वारा पंजीयन द्वारा पंजीयन रजिस्ट्री करवा सकते है क्या सूचना उपलब्ध करवाने की चेष्टा करें।	वान्छित सूचना प्रश्नात्मक है। अतः सूचना देय नही हैं।

उक्त के अलावा लोक सूचना अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 30.06.16 में निम्न प्रकार से जबाब प्रस्तुत किया है:–

यह कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 01 से इस कार्यालय द्वारा जो सूचना चाही गई थी वह लोकसेवको (उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी) के विरूद्ध की गई शिकायत के संबंध में है। इसी प्रकरण के समरूप माननीय राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर में विचाराधीन अपील संख्या 3309/2013 अनवान श्री प्रेमकुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के प्रकरण में सूचना आयोग ने अपने निर्णय दिनांक 15.09.2015 द्वारा यह आदेश पारित किये कि किसी लोक सेवक के खिलाफ शिकायत एवं जांच आदि की सूचना लोक सेवक एवं नियोक्ता के बीच का विश्वासाश्रित प्रकरण सूचना का प्रकटन लोकहित में निहित नही है। अतः ऐसी सूचना अदेय है, अपील खारिज की गई। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा बिन्दू संख्या 2 व 3 से जो सूचना चाही गई थी, वह सूचना प्रश्नात्मक सूचना थी। इसके

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
104/2016

संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राज0 जयपुर ने अपने परिपत्र कमांक प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गयी समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो को उत्तर देना अपेक्षित नही है।

उक्त प्रतिवेदन के अनुसार बिन्दु सं0 1 की सूचना का संबंध लोक सेवको की जांच से होने के कारण माननीय सूचना आयोग के निर्णय अपील सं0 4409/2013 निर्णय दिनांक 15.09.2015 के अनुसार देय नही है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना निश्चित दस्तावेज के रूप में होनी चाहिए। चूंकि बिन्दु सं0 2 व 3 की सूचना प्रश्नात्मक रूप में है इसलिए सूचना देय नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर दिनांक 31.05.2016 सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुरूप है, इसलिए इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

713-14
31/3/17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानो राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर